



वैज्ञानिकों को जाएंट रिवर डॉल्फिन की खोपड़ी का एक जीवाशम मिला है। समझा जाता है कि डॉल्फिन की यह प्रजाति पहले समुद्र में रहती थी और 16 मिलियन वर्ष पूर्व पेरु की एमेज़ॉन नदी में रहने लगी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि, विलुप्त प्रजाति की ये डॉल्फिन साथे तीन मीटर लम्बी रही होंगी, जिसे विश्व की सबसे लम्बी रिवर डॉल्फिन कहा जा सकता है। इस नई प्रजाति, पैरबानिस्टा याकूरुना की खोज ने विश्व की बची खुदी रिवर डॉल्फिन्स के खतरे को उत्तापन कर दिया है। शोध के अनुसार, आगामी 20-40 वर्षों में इन सभी को ऐसे ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। साईन्स एडवांसेज़ में छपे इस शोध में मुख्य शोध लेखक आल्डो बेनीते पालमीनो ने कहा कि, यह नई प्रजाति डॉल्फिन की प्लाटानिस्टोइडिआ फैमिली से संबंधित है, जो 24 मिलियन और 16 मिलियन वर्ष पूर्व महासागरों में मिलती थीं। इस समय जो रिवर डॉल्फिन्स हैं, वे इन्हीं समुद्री डॉल्फिन्स की वंशज मानी जाती हैं। माना जाता है कि, इन्होंने नए भोजन स्रोत की तलाश में समुद्र को छोड़कर मीठे पानी वाली नदियों को अपना आवास बनाया था। वैज्ञानिक बेनीते पालमीनो ने वर्ष 2018 में पेरु में इस जीवाशम की खोज की थी, तब वे स्नातक छात्र थे और अब युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में रिसर्च कर रहे हैं। उस समय अपने साथी के साथ घूमते समय उन्हें सबसे पहले जबड़े का एक टूकड़ा मिला था। वे पहचान गए कि यह जीवाशम डॉल्फिन का था, लेकिन यह एमेज़ॉन में मिलने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन का नहीं था। क्योंकि यह किसी बड़े आकार की डॉल्फिन का लग रहा था, जिसके सबसे करीबी रिश्तेदार इस समय दस हजार कि. मी. दूर साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। ज्यूरिख युनिवर्सिटी के जीवाशम विभाग के निदेशक मारसैलो आर. सैन्चेज़ विसाग्रा ने कहा कि, यह खोज बहुत रोचक है। इस तरह की डॉल्फिन की खोज पहली बार हुई है। बेनीते ने कहा कि, डॉल्फिन का यह जीवाशम अपने आकार की वजह से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही इस वजह से भी खास है क्योंकि, इसका इस समय एमेज़ॉन नदी में मिलने वाली डॉल्फिन्स से कोई सम्बंध नहीं है। जीवाशम के वर्तमान जीवित रिश्तेदार, जो गंगा और सिंधु नदी में पाए जाते हैं, सहित सभी रिवर डॉल्फिन विलुप्ति के खतरे से जूँझ रही हैं।

हेमंत सोरेन के समर्थक अति उत्साहित हैं,
केजरीवाल की रिहाई ने राह दिखा दी है,
झारखण्ड के मु.मंत्री की भी रिहाई की

हमें सारेन को पत्ती कल्पना, जो पाटी को नेता भी हो गयी है, ने कहा, “हमें
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमें शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा कोर्ट से”

- ब्राह्मण ज्ञा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली व्यूरो -
नई दिल्ली, 10 मई। “इण्डिया नॉक” और “आप” पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम मानन दिए जाने पर उत्साहित हैं क्योंकि ह अब विपक्ष के चल रहे चुनाव प्रचार का नया जौश भर देगा, लेकिन इस टनाक्रम ने झारखंड में झारखंड मुक्ति पार्चा (जे.एम.एम.) के सदस्यों में बड़ी आशाएं जगा दी हैं। शीर्ष न्यायालय ने जरीवाल को सर्वान्तर जमानत देने के बाद एम.एम. के नेता खुश हैं क्योंकि इस आदेश से एक नजीर बन गई है जिसके बाद धर पर हेमंत सोरेन के जेल से छठने प्रयास किए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन

- कल्पना सोरेन ने इन तका का खारज कर दिया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गलत परम्परा पड़ी है कि, राजनीतिज्ञ (नेता लोग) एक अलग व सोशल क्लास हैं।
- कल्पना सोरेन के अनुसार, चुनाव प्रचार में भाग लेना और अपनी पार्टी के लिये प्रचार करके बोट मांगना संवैधानिक अधिकार है तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सभी चुनाव लड़ने वालों के लिये, ‘लैवल प्लेइंग फील्ड’ बन गया है।

कल्पना ने इन दलीलों को नकार दिया कि उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिज्ञों को आम आदमी से अलग मानते हुए एक गलत उदाहरण पेश किया है और कहा कि आदेश संविधानिक प्रावधानों के अनुसार था। जे.एम.एम. नेता कल्पना ने आगे कहा, “आम चुनाव पांच साल में एक बार ही आते हैं। राजनीतिज्ञ होने के नाते प्रचार करना, जनादेश मांगना और चुनाव लड़ा हमारा हक है। आज के समय में, सभी को अवसर मिले चाहिए ताकि संविधान को

संबंध में कांग्रेस
अध्यक्ष द्वारा लिखी
गई चिट्ठी का जवाब
देते हुए कहा।

वरी, 2024, में आयोजित शराब वेले के लाइसेंस की नीलामी में भाग लिया था। परंतु राज्य सरकार ने इसी भाग ना लेने वाले पुरुषों द्वारा लाइसेंसधारकों की लाइसेंस अवधि के एकतरफा कार्रवाई करते हुए तीव्र विवाद उत्पन्न किया था, जिसके खिलाफ शर्मा व 275 अन्य चिकाकर्ताओं ने जयपुर स्थित एकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने करीब 200 अन्य लाइसेंसधारकों की जोधपुर में याचिका दायर की थी। जयपुर में सुनवाई के बाद जस्टिस एन्ड्रु कुमार गोयल की एकलपीठ वेले आदेश से इन करीब 500 लाइसेंसधारकों को ग़ाहत मिली है।

- इन 4000 लाइसेंस धारकों में से करीब 300 ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि, राज्य सरकार उनके लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर उन्हें घाटे पर कार्य करने पर विवश नहीं कर सकती। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा राशि लौटाने से मना कर दिया, जब तक कि बढ़ाई गई अवधि का समय समाप्त नहीं हो जाता।
- हालांकि, अदालत को यह नहीं बताया गया है कि, लाइसेंस धारकों को नई पॉलिसी के तहत घाटा क्यों हो रहा है, जबकि नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में कोई खास परिवर्तन नहीं है।

‘चुनाव प्रचार में भाग लेना न तो “फंडामैटल राईट” है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार’

ई.डी. के वकील व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की यह दलील सप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की

- कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर के द्वारा पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी से अधिकृत रूप से स्वयं को अलग कर लिया है, परंतु भाजपा के केन्द्रीय मंत्री

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई सुप्रीम कोर्ट
ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर दृढ़
रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द
केजरीवाल को आज 1 जून तक के लिए
अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। उन्हें
अंतरिम जमानत देने से पूर्व एन्फोसाइट
डायरेक्टोरेट (ई.डी.) ने भारी
आपत्तियाँ जतायीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें
वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार करने
की अनुमति प्रदान की। केजरीवाल
दिल्ली के आबकारी घोटाले से संबंधित
एक मनी लॉण्डिंग केस को लेकर

ई.डी. के वकील व एडिशन दलील सुप्रीम कोर्ट

केत दिया था कि लोकसभा चुनावों
में देखते हुए केजरीवाल को एक
मिमित अवधि के लिए रिहा किया जा
कर्ता है।

केजरीवाल की पैरवी कर रहे
गोनियर एडवोकेट अभिषेक मनु
मंथवी ने बैच से अनुरोध किया कि
दल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ और दिन
हार हने दिया जाए क्योंकि वोटों की
नंती 4 जून को होगी, तथापि बैच ने

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली
जमानत पर रिहा कि
- सुप्रीम कोर्ट ने रिहाइ
कि, केजरीवाल बार
न्यायालय के समक्ष
खिलाफ एक गंभीर मु
दोषी करार नहीं किया
जाएगा। और उन्हीं

न सॉलिसिटर ज
ने स्वीकार नहीं
मु.मंत्री को 21 दिन की अंतरिम
।

रल की यह
की

इस केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं,” तो जरिस खना ने कहा कि “संजय सिंह के प्रकरण की भाँति उतने ही मजबूत बयान से आप उन्हें जवाब देसकते हैं।

गत 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गत 9 अप्रैल को दिए गए निर्णय को सुनील कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीनियर नेता संजय सिंह को भी आबकारी नीति घोटाले से संबंधित केस में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने गत 2 अप्रैल को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

संजय सिंह के केस में ई.डी. ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें जमानत पर रिहा करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, ई.डी. ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिंह को दी गई न्यायिक छूट को एक नजीर ना माना जाए।

“आप” के दो अन्य सीनियर नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष लालौंड्रिंग के दो

कि वे शाराब नीति घोटाला के बारे कुछ भी नहीं बोलेंगे यही बात कोर्ट इसी मामले से संबंधित पिछले माह आपांती के नेता संजय सिंह को जमानत देसमय कही थी। यही शर्त उन पर 9

■ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए 5 शर्तों पर जमानत दी है।

लगाई थी।
उन्हें वर्तमान लोकसभा चुनावों वेदौरान केवल आप पार्टी का प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

